न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 100/2022
श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री गणेशाराम, जाति जाट, निवासी चीमा का बास, पोस्ट बेरला, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 31.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.03.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 100/2022 पर दिनांक 11.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1027—28 दिनांक 11.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक सू0अ0/2022/71 दिनांक 23.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री जयवीर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के प्रकरण मे आवेदक जयवीर सिंह पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी चीमा का बास, पोस्ट बेरला, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं द्वारा सचूना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बाबत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0/2022/45 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अप्रार्थी ने कथन किया कि उसे गोलमाल जबाब दिया गया है उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2022/71 दिनांक 23.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री जयवीर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के प्रकरण मे आवेदक जयवीर सिंह पुत्र गणेशाराम, जाति जाट, निवासी चीमा का बास, पोस्ट बेरला, तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं द्वारा सचूना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बाबत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सू0अ0/2022/45 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा प्रार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक 45 दिनांक 02.03.3022 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को सूचना नही मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:05:02 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं